

RULES OF WATERSHED COMMITTEE

वाटरशेड कमेटी के नियम

1. इन नियमों की ध्याख्या हेतु डब्ल्यू. सी. का अर्थ वाटरशेड कमेटी होगा जो पी.आर.डी.ए. के पी.आई.ए. एवं वाटरशेड कमेटी पंजीयन नियमों के अन्तर्गत डी.आर.डी.ए. से पंजीकृत होगी। सचिव का अर्थ वाटरशेड कमेटी का सचिव, पी.आई.ए. का अर्थ ज्ञापन के पैरा 4 में उल्लेखित पी.आई.ए. हो। तथा परियोजना अधिकारी का तात्पर्य इस पी.आई.ए. का परियोजना अधिकारी होगा जब तक तात्पर्य, विषय या संदर्भ से असांबद्ध नहीं हो।
2. ये नियम डब्ल्यू.सी. की सभी इकाईयों और गतिविधियों पर लागू हों।
3. डब्ल्यू.सी. में निम्नलिखित सदस्य होंगे जो ग्राम समा के अनुमोदन उपरान्त पी.आई.ए. के परियोजना अधिकारी द्वारा नामांकित होंगे। (न्यूनतम 90 सदस्य, जिनमें तीन सदस्य पंचायत से, कम से कम तीन महिलायें एवं एक पी.आई.ए. के सदस्य जो परियोजना अधिकारी द्वारा नामांकित होंगे।)

सदस्यता	सारल क्रमांक	नाम, व्यवसाय तथा पता	हस्ताक्षर
1.		श्री. ए. के. ...	(पी.आई.ए. का सदस्य)
2.		राम ...	पंचायत सदस्य
3.		कुमार ...	पंचायत सदस्य
4.		कमल ...	पंचायत सदस्य
5.		कच्छी ...	पंचायत सदस्य
6.		रामकृष्ण ...	
7.		राजकुमारी ...	
8.		राज ...	
9.		दत्त ...	
10.		भगवान ...	
		राम ...	
		प्रदीप कुमार शर्मा	